श्री शत्रुंजय कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक–19.12.2022 (सोमवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में पेंशन/सेवान्त लाभ के लंबित मामलों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. श्री शत्रुंजय कुमार मिश्र,
   संयुक्त सचिव।
2. श्री राम बाबू चौधरी,
   प्रशाखा पदाधिकारी – अनुपस्थित
3. श्री पप्पु कुमार,
   सहायक – अनुपस्थित

–ःकार्यवाहीः–

आज की समीक्षा बैठक में अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा पेंशन/सेवान्त लाभ के लंबित मामलों की समीक्षा निर्धारित थी किन्तु प्रशाखा की तरफ से संबंधित कर्मी उपस्थित नहीं हुए, जिसके वजह से समीक्षा नहीं हो सकी। पृच्छा करने पर सहायक के द्वारा बतलाया गया गया की प्रशाखा पदाधिकारी उपलब्ध नहीं है और वे स्वयं विशेष सचिव महोदय के द्वारा सौपे गये एक आवश्यक कार्य में व्यस्त है इसलिए वे व्यस्त है।

गत समीक्षा बैठक दिनांक 12.12.2022 की कार्यवाही प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विगत प्रतिवेदन में प्रपत्र 1 से 5 में लंबित मामलों पर निम्न निदेश दिये गये हैं जिनकी समीक्षा अनुपस्थिति की वजह से नहीं हो सकी।

प्रपत्र–1 उच्च वर्गीय लिपिक मोहम्मद नदीम के अनिवार्य ग्रुप बीमा की राशि का तुरन्त भुगतान हेतु अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, आरा से आज दिनांक–12.12.2022 को दूरभाष पर सम्पर्क किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि HRMS के कारण भुगतान लंबित है। HRMS में नाम अंकित कर यथाशीघ्र भुगतान हेतु निदेशित किया गया।

आज HRMS के लिए संबंधित प्रशाखा–12 से जानकारी प्राप्त करने पर पता चला उनका नाम HRMS में दर्ज करने हेतु आदेश हो चुका है। इस आलोक में प्रशाखा–7 को निदेश दिया जाता है कि भुगतान करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

कार्य प्रमण्डल, रक्सौल के कनीय अभियंता, श्री अनिल हेमब्रम को अव्यवहृत अर्जित अवकाश के बदले नगद राशि के भुगतान हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई का निदेश दिया गया। इसके लिये कार्यपालक अभियंता, रक्सौल को निदेश दिया गया कि श्री हेमब्रम का सेवापुस्त में लेखा सत्यापन हेतु यथोचित कार्रवाई कर अविलम्ब जिला भविष्य निधि कार्यालय से सेवापुस्त प्राप्त कर अव्यवहृत अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान करें।

श्री हेमब्रम के संबंध में निदेश दिया जाता है कि प्रशाखा–7 संबंधित प्रमंडल रक्सौल को विशेष दूत प्रतिनियुक्त करते हुए सेवा में टुट अवधि का सत्यापन कराने का निदेश निर्गत करें। इसी प्रकार वसूली योग्य राशि का यदि

अभिश्रव उपलब्ध हो तो सामानजन करने अथवा उक्त राशि को भुगतेय राशि में से कटौती करने का सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करने की कार्रवाई करते हुए मामले का निस्तार करने का निदेश दें।**

प्रपत्र–2 कार्य प्रमण्डल, मसौढ़ी के कनीय अभियंता, स्व0 सत्येन्द्र पंडित के आश्रित को भविष्य निधि के राशि का अन्तिम भुगतान शीघ्र करने का निदेश दिया गया। इसके लिये कार्यपालक अभियंता को HRMS में यथाशीघ्र विकल्प प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया।

स्व0 मानिक लाल चटर्जी, कार्यालय परिचारी के आश्रित को भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान हेतु कार्यपालक अभियंता, नवगछिया को जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, भागलपुर से सम्पर्क स्थापित कर प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु आज दिनांक–12.12.2022 को पुनः निदेश दिया गया।

विगत कार्रवाई प्रतिवेदन में निहित निदेश का अनुपालन प्रशाखा की अनुपस्थिति की वजह से ज्ञात नहीं हो सका।

प्रपत्र–3 के लंबित मामलें के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि प्रायः मामलें विभागीय कार्रवाई/असमायोजित अग्रिम के समायोजन के कारण लंबित है। इस संबंध में निगरानी शाखा को लंबित मामलें का जल्द निबटारा कराने लिये संबंधित वादों की अद्यतन प्रति प्राप्त कि जाय।

विगत बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन ज्ञापांक 7082 दिनांक 12.12.2022 से निर्गत है और इसमें संबंधित प्रशाखा–2 एवं 3 को प्रतिलिपि दिया गया है किन्तु किसी प्रकार की कार्रवाई का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है, जो खेदजनक है।

प्रपत्र–4 से संबंधित मामलें शून्य है।

प्रपत्र–5 इस प्रपत्र में छः माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों की सूची है। सेवान्त लाभ का भुगतान ससमय प्राप्त हो इसके लिये संबंधित कार्यपालक अभियंता से अद्यतन की तैयारी का विवरणी प्राप्त किया जाय। **किन्तु इस संबंध में प्रशाखा–7 के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, जो खेदजनक हैं। प्रशाखा–7 को पुनः कार्रवाई करते हुए अगली बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है।**

ह0/–
(शत्रुंजय कुमार मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

7397 23/12/22

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–02/03 (निगरानी)/पदाधिकारी प्रशाखा–12/संबंधित कार्यपालक अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

प्रशाखा–12 (लेखा शाखा) को निदेश दिया गया है कि जिस पदाधिकारियों/कर्मियों का सेवान्त लाभ के मामलें HRMS के कारण लंबित है, उन पदाधिकारीयों/कर्मियों का नाम यथाशीघ्र HRMS में अंकित किया जाय।

23/12/22
सरकार के संयुक्त सचिव